न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी संदीप चौधरी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 51/2024

01. अकसीदा पत्नी अंजुम खान जाति मेव निवासी मकान नं0 872 तबेला मौहल्ला नजदीक जी0जी0 बैंक घसेरा मेवात हरियाणा।

प्राथिया.......

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील कामां जिला डीग राजस्थान।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 व 136
भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थित :– श्री देवेन्द्र सिंह दायमा, वकील सायला।

निर्णय

दिनांक :– 10/02/2025

प्रार्थिया द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –111, 128 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी साविक खसरा नम्बर 1342 मिन जिसके हाल खसरा नम्बर 2733/0.01, 2774/0.39, 2775/0.40 हैक्टेयर बांके ग्राम सबलाना तहसील कामां जिला डीग में स्थित है। सबूत में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077, मिलान क्षेत्रफल व नक्शा ट्रेश संलग्न है। प्रार्थिया ने खसरा नम्बर 2773/0.01, 2774/0.39 को रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर खरीद किया था तथी से प्रार्थिया उक्त आराजी पर वहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है और प्रार्थिया का मौके पर रास्ते के सहारे कब्जा व काश्त है। भू–प्रबंध विभाग ने प्रार्थिया के कब्जे काश्तशुदा पूर्व के नक्शा ट्रेस के आधार पर जब नया नक्शा ट्रेस तैयार किया जो गलत है जिससे प्रार्थिया को सख्त हक तलफी हो रही है। जिसे प्रार्थिया शुद्व करा पाने की अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2773/0.01, 2774/0.39 हैक्टेयर बांके ग्राम सबलाना तहसील कामां के नक्शा ट्रेश में मौका कब्जा व पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुसार शुद्व किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी तहसीलदार कामां द्वारा उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी के संबंध में अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2024/2137 दिनांक 12.11.2024 से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 2773/0.01, 2774/0.39 प्रार्थिया अकसीदा पत्नी अंजुम खान जाति मेव निवासी मकान नं0 872 तबेला मौ0 नजदीक जी0जी0 बैंक घसेरा मेवात हरियाणा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं खसरा नम्बर 2775/0.40 करतारचन्द पुत्र मघ्घर दास कौम राजपूत (मृतक) साकिन सबलाना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक पटवारी हल्का मौका पर्चा दिनांक 16.10.2024 के खसरा नम्बर 2774/0.39 व तरफ पश्चिम दिशा में स्थित में स्थित है व खसरा नम्बर 2775/0.40 व तरफ पूर्व है खसरा नम्बर 2773/0.01 व तरफ दखिण दिशा में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 2774/0.39 के अन्दर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड बन्दोबस्ती नक्शाशीट के खसरा नम्बर 2775/0.40, 2712 गै0मु0 रास्ता (सबलाना से विरार) पर है जबकि मौके पर खसरा नम्बर 2774 व 2775 दोनों खसरा नम्बरान मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

मौका नक्शा रास्ते पर है। मुताबिक बन्दोबस्ती नक्शाशीट के नजरी नक्शा तैयार कर कर नजरी नक्शा में आराजी खसरा नम्बर 2712 गै0मु0 रास्ता पर दोनों खसरा नम्बरान पर काश्त की जा रही है। जिसमें मुताबिक मौका नजरी नक्शा के खसरा नम्बर 2774/0.39, 2773/0.01 पर अकसीदा पत्नी अंजुम खान द्वारा काश्त की जा रही है। खसरा नम्बर 2775/0.40 पर करतार चन्द पुत्र मघ्घरदास द्वारा काश्त की जा रही है। अतः मौका व कब्जा काश्त के मुताबिक शुद्वि किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि आराजी खसरा नम्बर 2773/0.01, 2774/0.39 हैक्टेयर बांके ग्राम सबलाना तहसील कामां के नक्शा ट्रेश में मौका कब्जा व पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुसार शुद्व किया जावे तथा तहसीलदार कामां द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 2774/0.39 के अन्दर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड बन्दोबस्ती नक्शाशीट के खसरा नम्बर 2775/0.40, 2712 गै0मु0 रास्ता (सबलाना से विरार) पर है जबकि मौके पर खसरा नम्बर 2774 व 2775 दोनों खसरा नम्बरान मुताबिक मौका नक्शा रास्ते पर है। मुताबिक बन्दोबस्ती नक्शाशीट के नजरी नक्शा तैयार कर कर नजरी नक्शा में आराजी खसरा नम्बर 2712 गै0मु0 रास्ता पर दोनों खसरा नम्बरान पर काश्त की जा रही है। जिसमें मुताबिक मौका नजरी नक्शा के खसरा नम्बर 2774/0.39, 2773/0.01 पर अकसीदा पत्नी अंजुम खान द्वारा काश्त की जा रही है। खसरा नम्बर 2775/0.40 पर करतार चन्द पुत्र मघ्घरदास द्वारा काश्त की जा रही है। अतः मौका व कब्जा काश्त के मुताबिक शुद्वि किये जाने की अभिशंषा के आधार पर शुद्वि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अन्तर्गत धारा-111, 128 व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कामां से प्राप्त नक्शा ट्रेश के मुताबिक खसरा नम्बर 2774/0.39, 2773/0.01, 2775/0.40 को नक्शा ट्रेश में शुद्व किया जावे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार कामां को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार पालना की कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संदीप चौधरी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां जिला डीग राज0